सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि, रायपुर में अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण कमांक 27 / 2020 दिनांक 09.09.2020

O/o CE (EITC)
Receipt No. 1109
Date 11 DEC 2020
DGM (IT) / SE (O)
EE............
Section ....

श्री सुरेश कुमार चकवर्ती
अधीक्षण अभियंता, रायपुर — अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर — प्रतिअपीलार्थी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 27/11/2020 को पारित)

अपीलार्थी श्री सुरेश कुमार चकवर्ती रायपुर की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन दिनांक 09.09.2020 प्रस्तुत किया गया है। जिसे पंजीयन क्रमांक 27 / 2020 दिनांक 09.09.2020 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई है :–

(अ) वर्ष 1990, 1991, और 1992 में नियुक्त किये गये सहायक यंत्रियों की MPEB के द्वारा बनायी / जारी एकजाई ग्रेडेशन लिस्ट की सूची।

(ब) ग्रेडेशन सूची के आधार पर सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री की पदोन्नति हेतु बनाई गई पेनल लिस्ट की प्रति।

(3) अधोहस्ताक्षरकर्ता (अपीलीय अधिकारी) कोविड–19 संक्रमण से ग्रसित होने के कारण कुल 22 दिनों तक अवकाश पर रहे है। जिसके कारण अपील की सुनवाई में विलंब हुआ है।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.11.2020 को सांय 4.00 बजे निर्धारित की गई। नियत तिथि को अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक तथा प्रबंधक (मा.सं.)–छः उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का तर्क कि कंडिका 02 / –टीप में उल्लेखित जानकारी उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक तथा प्रबंधक (मा.सं.) –छः, (होल्डिंग कंपनी) के कार्यक्षेत्र से संबंधित है।

अतएव (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु क्रमांक 01 की जानकारी इस प्रभाग में उपलब्ध दस्तावेजों में वांछित सूची उपलब्ध नही है। तथा बिन्दु क्रमांक 02 के संबंध में लेख है कि उपरोक्त ग्रेडेशन सूची के आधार पर पेनल लिस्ट नही बनाई गई। (DPIO) प्रबंधक (मा.सं.)–छः द्वारा कुल 38 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है।

आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर धारा 7(1) के अंतर्गत अभिलेख शुल्क रूपये 78/–मात्र का भुगतान करने बाबत् सूचित किया गया। अभिलेख शुल्क के भुगतान पश्चात आवेदक को कुल 39 पृष्ठों की दस्तावेज पत्र क्रमांक 1710 दिनांक 13.07.2020 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

(5) (अ) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) के तर्क श्रवण किये गये।

(ब) अपीलार्थी का तर्क कि उन्हे जो जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई है वह पूर्ण रूप से मांगी गई जानकारी से कोई संबंध नही है। अतः अपीलार्थी को जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी जाए।

(स) संबंधित प्रभाग के (DPIO) प्रबंधक (मा.सं.)–छः का तर्क कि आवेदक को बिन्दु क्रमांक 01 के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों/दस्तावेजों के आधार पर संयुक्त सचिव (कार्मिक–दो) मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, जबलपुर के आदेश क्रमांक 1752 दिनांक 18.07.1992 की प्रति कुल 37 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई है।

बिन्दु क्रमांक 02 के संबंध में संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक, का तर्क कि उपरोक्त ग्रेडेशन सूची के आधार पर पेनल लिस्ट नही बनाई गई है।

(द) उक्ताशय के संबंध में अपीलार्थी का तर्क उनके द्वारा वर्ष 1990 1991, और 1992 मे नियुक्त सहायक यंत्रियों की MPEB के द्वारा बनायी गई ग्रेडेशन लिस्ट की सूची चाही गई थी। चूंकि जनसूचना अधिकारी द्वारा केवल दिनांक 18.07.1992 में जारी किये गये वरिष्ठता सूची की प्रति उपलब्ध करायी गई है।

तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक को म.प्र.वि.मं. में कार्यरत सहायक यंत्री (पारे./वित.) की दिनांक 01.04.1990 की अस्थाई "प्रोवीजनल" वरिष्ठता सूची आदेश क्रमांक 01–12/दो–एक–सात/2859 दिनांक 07.12.1991 के अनुसार प्रकाशित की गई थी एवं संबंधित अधिकारियों से वरिष्ठता निर्धारण संबंधी आपत्तियॉ दिनांक 15.01.1992 तक आमंत्रित की गई थी। उक्त सूची बाबत् अधिकारियों की आपत्तियॉ प्राप्त होने एवं उन पर विचार करने के पश्चात् सहायक यंत्री (पारे./वित.) की दिनांक 01.04.1990 की स्थाई फाईनल वरिष्ठता सूची संलग्न अधिसूची के अनुसार प्रकाशित की गई है, जो इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक चाहे तो बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 के संबंध में जानकारी/दस्तावेज मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर से यथास्थिति प्राप्त कर सकते है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 4/–टीप में जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जो कार्यवाही की गई है, वह न्यायसंगत है, जो स्वीकार योग्य है।

अपीलार्थी को कंड़िका 02/–टीप की जानकारी/दस्तावेज कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध कराया गया है, जो तर्कसंगत है।

जहॉ तक अपीलार्थी के अपील का प्रश्न है पूर्वगामी विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी को सलाह दी जाती है कि वे कंडिका 2/–टीप के संबंध में यथास्थिति जानकारी/दस्तावेज मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर से प्राप्त कर सकते है। उक्त सलाह से अपीलार्थी संतुष्ठ हुए। अतः प्रकरण में अकारण जो भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है उसके निवारण हेतु दिये गये सलाह प्रर्याप्त परिलक्षित होते है। परिणामतः प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 27/2020 दिनांक 09.09.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

कमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –27/2020/79 रायपुर, दिनांक 27/11/2020

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) प्रबंधक (मा0सं0)–छः, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) श्री सुरेश कुमार चकवर्ती, अधीक्षण अभियंता (HTFS) कार्यालय–मुख्य अभियंता (सतर्कता) छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
पिन – 492002

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700